अनुदान संख्या 78 - पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
GRANT No. 78 - MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1495,19,00	1508,29,00	1389,89,08	-118,39,92
पूरक	Supplementary	13,10,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				110,09,46
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	749,31,00	843,97,00	740,44,28	-103,52,72
पूरक	Supplementary	94,66,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2,73,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व खंड में, कुल बचत (₹11839.92 लाख) दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में प्राप्त ₹1310.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गई और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 8 प्रतिशत थी।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹11839.92 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹1310.00 lakhs obtained in December, 2022 and March, 2023 and constituted 8 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	7800.00	5146.14	5031.93	-114.21
पु.	R.	-2653.86			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	2000.00	..	..	..
पु.	R.	-2000.00			
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	11400.00	5944.00	5921.10	-22.90
पु.	R.	-5456.00			
मुख्य शीर्ष "3051"	Major Head "3051"				
बंदरगाह और लाइट हाउस	Ports and Light Houses				
मू.	O.	100559.00	101531.70	100914.52	-617.18
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	970.70			
मुख्य शीर्ष "3052"	Major Head "3052"				
पोत परिवहन	Shipping				
मू.	O.	15110.00	19073.25	18997.09	-76.16
पू.	S.	1308.00			
पु.	R.	2655.25			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “3601”	Major Head “3601”				
राज्य सरकारों को अनुदान सहायता	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	5000.00	491.45	491.45	..
पु.	R.	-4508.55			

(I) तीन मदों के तहत ₹7100.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹7000.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत आते हैं :–

(I) Provision of ₹7100.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads; of these ₹7000.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “2552” – “अंतर्देशीय जल परिवहन – केंद्रीय योजनागत स्कीमें – आईडब्ल्यूटी का विकास” – ₹2000.00 लाख – उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों के लिए धन के पुनर्विनियोजन के कारण।

(A) Major Head “2552” - “Inland Water Transport - Central Plan Schemes - Development of IWT” - ₹2000.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष “3601” – “राज्यों को अन्य हस्तांतरण/अनुदान – विशेष सहायता – सागरमाला परियोजनाएं” – ₹5000.00 लाख – सीएनए कार्यक्षमता की शुरूआत के कारण कार्यात्मक शीर्षों में धन के हस्तांतरण के कारण।

(B) Major Head “3601” - “Other Transfer/ Grants to States - Special Assistance - Sagarmala Projects” - ₹5000.00 lakhs - due to transfer of funds to functional heads owing to introduction of CNA functionality.

(II) मुख्य शीर्ष “3451” – “सचिवालय – पोत परिवहन मंत्रालय” के तहत – ₹2768.07 लाख की बचत (₹7800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय के स्थानांतरण और कम भौतिक बैठकों के संचालन के कारण, रिक्त पदों को न भरने, डिवीजनों से कम प्राप्तियां, कार्यालय उपकरणों की खरीद कम होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head “3451” - “Secretariat - Ministry of Shipping” - saving of ₹2768.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7800.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less receipts from divisions, less procurement of office equipment owing to shifting of office and conduction of less physical meetings.

(III) मुख्य शीर्ष “2852” – “इंजीनियरिंग उद्योग – परिवहन उपकरण उद्योग – सभी भारतीय शिपयार्डों को

(III) Under Major Head “2852” - “Engineering Industries - Transport Equipment Industries -

सब्सिडी / वित्तीय सहायता" के अंतर्गत – ₹5296.01 लाख की बचत (₹11100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई जहाजों का निर्माण न होने और कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3051" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचत हुई :–

(का) "मुख्य बंदरगाह – पोर्ट ट्रस्टों को सहायता" –

(क) "श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता द्वारा हल्दिया चौनल में रखरखाव और ड्रेजिंग" – ₹1398.20 लाख की बचत (₹13982.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता और हल्दिया चौनल द्वारा हुगली नदी और हल्दिया चौनल की नदी ड्रेजिंग और रखरखाव" – ₹552.80 लाख की बचत (₹5528.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्य हासिल न कर पाने के कारण कम रिलीज के कारण उपरोक्त दो शीर्षों के तहत बचत हुई।

(खा) "छोटे बंदरगाह – निदेशन और प्रशासन – पोर्ट ब्लेयर में सीई–सह–प्रशासक कार्यालय और नई दिल्ली में ई. ई. और संपर्क कार्यालय के संबंध में स्थापना शुल्क" – ₹1215.59 लाख की बचत (₹7565.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लक्षद्वीप में उपचुनाव के कारण निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई थी।

(गा) "लाइट हाउस और लाइट सिप्स" –

(क) "निदेशन और प्रशासन – महानिदेशालय" – ₹554.63 लाख की बचत (₹5382.40 लाख के स्वीकृत प्रावधान के मुकाबले) रिक्त पदों को न भरने, विज्ञापनों के लिए कम धन की आवश्यकता और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कारण कम दौरे हुए।

Subsidy/Financial Assistance to all Indian Shipyards" - saving of ₹5296.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11100.00 lakhs) was due to non-construction of vessels and receipt of less proposals.

(IV) Under Major Head "3051" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Major Ports - Assistance to Port Trusts" -

(a) "Maintenance and Dredging in Haldia Channel by Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata" - saving of ₹1398.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13982.00 lakhs); and

(b) "River Dredging and Maintenance of river Hooghly and Haldia Channel by Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata and Haldia Channel" - saving of ₹552.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5528.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less releases owing to non-achieving the milestone set by Public Investment Board.

(B) "Minor Ports - Direction and Administration - Establishment charges in respect of CE-cum-Administrator office at Port Blair and E.E. & Liaison Office at New Delhi" - saving of ₹1215.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7565.00 lakhs) was due to non-finalization of tender process owing to bye elections in Lakshadweep.

(C) "Light Houses and Light Ships" -

(a) "Direction and Administration - Directorate General" - saving of ₹554.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5382.40 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards

advertisements and less tours undertaken owing to video conferencing.

(ख) "लाइट हाउस – कार्य व्यय – प्रबंधन" – ₹899.29 लाख की बचत (₹9037.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, जनशक्ति की आउटसोर्सिंग के लिए कम धन की आवश्यकता, लाइटहाउस के सौर ऊर्जाकरण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कारण कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(b) "Light Houses - Working Expenses - Management" - saving of ₹899.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9037.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards outsourcing of manpower, solarization of lighthouses and less tours undertaken owing to video conferencing.

(V) मुख्य शीर्ष "3052" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचत हुई :–

(V) Under Major Head "3052" - savings occurred under the following heads:-

(का) "विदेश शिपिंग – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता – शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया" – ₹894.00 लाख की बचत (₹2510.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में), संशोधित चार्टर की शुरुआत के कारण शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) के पास सब्सिडी की अव्ययित शेष राशि की उपलब्धता के कारण हुई।

(A) "Overseas Shipping - Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Shipping Corporation of India" - saving of ₹894.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2510.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of subsidy with Shipping Corporation of India (SCI) owing to inception of revised charter.

(खा) "सामान्य – निर्देशन और प्रशासन – नौवहन महानिदेशालय" – ₹1288.13 लाख की बचत (₹12100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, कोविड–19 महामारी के कारण कम एलटीसी दावों की प्राप्ति, कम चिकित्सा दावों की प्राप्ति, कम दौरे किए गए और संशोधित चार्टर की शुरुआत के कारण शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास सब्सिडी के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण हुई।

(B) "General - Direction and Administration - Directorate General of Shipping" - saving of ₹1288.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12100.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less LTC claims owing to COVID-19 pandemic, receipt of less medical claims, less tours undertaken and availability of unspent balance of subsidy with Shipping Corporation of India owing to inception of revised charter.

2.(I) उपरोक्त बचत का उपयोग आंशिक रूप से (₹9734.32 लाख) पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए किया गया था, जबकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत ₹1310.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय पहले ही संसद को सूचित किया गया था :–

2.(I) The above savings were partly (₹9734.32 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grants of ₹1310.00 lakhs under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "3051" –

(A) Major Head "3051" -

(क) "मुख्य बंदरगाह – निर्देशन और प्रशासन – सागरमाला" – ₹2578.20 लाख। वास्तविक अधिक व्यय ₹2529.67 लाख था।

(a) "Major Ports - Direction and Administration - Sagarmala" - ₹2578.20 lakhs. Actual excess, however, was ₹2529.67 lakhs.

(ख) "लाइट हाउस और लाइट शिप – लाइट हाउस – कार्य व्यय – सामान्य आरक्षित निधि" – ₹2318.12 लाख।

(b) "Light Houses and Light Ships - Light Houses - Working Expenses - General Reserve Fund" - ₹2318.12 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "3052" – "सामान्य – प्रशिक्षण – भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय" – ₹4838.00 लाख।

(B) Major Head "3052" - "General - Training - Indian Maritime University" - ₹4838.00 lakhs.

(II) दो शीर्षों के तहत ₹943.24 लाख की अधिक व्यय हुआ, प्रत्येक ₹250.00 लाख से अधिक थी, लेकिन ₹500.00 लाख से अधिक नहीं थी और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत और 100 प्रतिशत थी।

(II) Under two heads excess of ₹943.24 lakhs occurred each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 11 percent and 100 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹10352.72 लाख) दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में प्राप्त ₹9466.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गई और कुल स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत थी।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹10352.72 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹9466.00 lakhs obtained in December, 2022 and March, 2023 and constituted 12 percent of the total sanctioned provision.

बचत/अधिशेष निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ :–

Savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas			
मू.	O.	9980.00	..	..	..
पु.	R.	-9980.00		

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5051"	Major Head "5051"				
बंदरगाहों और लाइट हाउसों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Ports and Light Houses				
मू.	O.	7500.00			
पू.	S.	9465.00	18622.00	18618.80	-3.20
पु.	R.	1657.00			
मुख्य शीर्ष "5052"	Major Head "5052"				
शिपिंग पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Shipping				
मू.	O.	3000.00			
पू.	S.	1.00	1071.00	994.48	-76.52
पु.	R.	-1930.00			
मुख्य शीर्ष "5056"	Major Head "5056"				
अंतर्देशीय जल परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Inland Water Transport				
मू.	O.	54451.00	64431.00	54431.00	-10000.00
पु.	R.	9980.00			

(I) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दो शीर्षों के तहत ₹19980.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा :–

(I) Provision of ₹19980.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" – "अंतर्देशीय जल परिवहन – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता – भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण" – ₹9980.00 लाख – पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों में धन के पुनर्विनियोजन के कारण।

(A) Major Head "4552" - "Inland Water Transport - Assistance to Public Sector & Other Undertakings - Inland Waterways Authority of India" - ₹9980.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष “5056” – “आरक्षित निधि/जमा खाते में स्थानांतरण – केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में स्थानांतरण” – ₹10000.00 लाख – वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार सकल बजटीय सहायता से हस्तांतरण के कारण।

(B) Major Head “5056” - “Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Transfer to Central Road and Infrastructure Fund” - ₹10000.00 lakhs - due to transfer from Gross Budgetary Support as per directions of Ministry of Finance.

(II) मुख्य शीर्ष “5051” के तहत – “लाइट हाउस और लाइटशिप – लाइट हाउस का निर्माण और विकास – लाइट हाउस का निर्माण और सुधार” – ₹1250.27 लाख की बचत (₹7100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) माईपुरा लाइट हाउस के लिए सीआरजेड मंजूरी में देरी, गोवा में कार्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टर का निर्माण, रानी लक्ष्मीबाई शिला में नए लाइट हाउस का निर्माण देर से शुरू होना और फर्म द्वारा सिस्टम की देर से स्थापना के कारण डीजीपीएस चरण–II के पुनर्पूंजीकरण का काम शुरू न होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head “5051” - “Light Houses and Light Ships - Construction and Development of Light Houses - Construction and Improvement of Light Houses” - saving of ₹1250.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7100.00 lakhs) was due to delay in CRZ clearance for Maipura Light House, construction of office building and staff quarters at Goa, late commencement of construction of new lighthouse at Rani Lakshmibai Shila and non-commissioning of Recapitalization of DGPS phase-II work owing to late installation of system by the firm.

(III) मुख्य शीर्ष “5052” – “सामान्य – अन्य व्यय” के अंतर्गत – बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(III) Under Major Head “5052” - “General - Other Expenditure” - savings occurred under the following heads:-

(का) “भवन” – ₹725.36 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जहाज भवन/शिपिंग हाउस के नवीकरण/मरम्मत के लिए कम धन की आवश्यकता और साइट पर जगह की कमी के कारण सामग्री और घटकों की खरीद नहीं होने के कारण हुई।

(A) “Building” - saving of ₹725.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards renovation/repair of Jahaz Bhawan/Shipping House and non-procurement of materials and components owing to shortage of space at the site.

(खा) “ई–गवर्नेंस” – ₹1281.16 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक अनुपूरक अनुदान सहित ₹1501.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रालय द्वारा नई ई–गवर्नेंस परियोजना को मंजूरी न दिए जाने के कारण हुई।

(B) “E-Governance” - saving of ₹1281.16 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1501.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to non-approval of new e-Gov Project by Ministry.

2.(I) उपरोक्त बचत का आंशिक (₹2957.00 लाख) रूप से उपयोग, मुख्य शीर्ष “5051” – “मुख्य बंदरगाह – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों की सहायता – सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी” – ₹2957.00 लाख के तहत ₹7079.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए किया गया था, जैसा कि संसद को पहले ही बताया जा चुका है।

2.(I) The above savings were partly (₹2957.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grants of ₹7079.00 lakhs under Major Head “5051” - “Major Ports - Assistance of Public Sector & Other Undertakings - Sagarmala Development Company” - ₹2957.00 lakhs.

(II) मुख्य शीर्ष "5056" – "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण" के अंतर्गत बचतों की भरपाई भी अधिक व्यय से की गई – ₹9980.00 लाख का अधिक व्यय (₹44451.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्ष तक निधियों के पुनर्विनियोग के कारण हुई।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "5056" - "Investments in Public Sector and Other Undertakings - Inland Waterways Authority of India" - excess of ₹9980.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹44451.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.